

**कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश
ऑडिट भवन, टी सी-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010**

सं.म.ले.(ले.प.-II)/प्रशा./Office Order/EAP Certification/ 103 दिनांक:04.09.2024

कार्यालय आदेश

महालेखाकार महोदया के निर्देशानुसार प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यालय आदेश संख्या : म०ले० (आडिट-II)/प्रशासन/CASS/CAP-पत्राचार/147 दिनांक 14.01.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रावधानित किया जाता है कि इस कार्यालय के लेखापरीक्षा अधिकार से सम्बन्धित बाह्य सहायतित परियोजनाओं के **Statement of Expenditure (SoE) /Project Financial expenditure (PFS)** के प्रमाणीकरण का कार्य तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित SoE/PFS के विभाग की लेखापरीक्षा करने वाले एएमजी के अधीन लेखा अनुभाग (Accounts Section) द्वारा निष्पादित किया जाएगा । बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लेखों के प्रमाणीकरण हेतु सम्बन्धित विभागों से इस आशय के सभी पत्राचार/समन्वय सम्बन्धित एएमजी द्वारा ही किए जाएंगे ।

Office Order

As per orders of Accountant General, keeping in view of administrative requirement, in partial modification to Office Order No- म०ले० (आडिट-II)/प्रशासन/CASS/CAP-पत्राचार/147 दिनांक 14.01.2022 the work of certification of Statement of expenditure (SoE)/Project Financial Statements of Externally Assisted Projects (EAPs) will be done by the Accounts section of respective AMGs conducting audit of departments of respective SoE/PFS, with immediate effect. All the communication/coordination with respective departments regarding certification of EAPs will be done by the concerned AMGs.

— हस्ता. —
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

सं.म.ले.(ले.प.-II)/प्रशा./Office Order/EAP Certification/ 1267
दिनांक:04.09.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त वर्गाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ
2. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ
3. व.ले.प.अ./ प्रशासन, शाखा कार्यालय एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/SFAR को इस आशय से सूचित कि बाह्य सहायतित परियोजना के प्रमाणीकरण से सम्बंधित पत्रावलियाँ **SoE/PFS** के सम्बन्धित विभाग की लेखा परीक्षा करने वाले इस कार्यालय के सम्बन्धित एएमजी के लेखा अनुभाग से समन्वय कर पत्रावलियाँ तत्काल हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें ।
4. व.ले.प.अ./AMG-I, AMG-II, AMG-III, AMG-IV नियंत्रण एवं लेखा अनुभाग, को इस आशय से सूचना हेतु कि मुख्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु बाह्य सहायतित परियोजना से सम्बंधित मासिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रति माह की 5 तारीख तक प्रशासन अनुभाग को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
5. व.ले.प.अ./आई.टी.सेल, को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यालय आदेश की एक प्रति Office Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें

हस्ता.
04/9/2024
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.